उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-3

संख्या-31/2022/763/23-3-2022-47ईएस/2006-टीसी-।।

लखनऊ : दिनांक : 26 मई, 2022

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियंताओं के मध्य कार्य आवंटन संबंधी पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से प्रमुख अभियंताओं के मध्य कार्य आवंटन निम्नवत् किया जाता है :-

(क) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष

1. बजट एवं विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
2. नाबार्ड से सम्बन्धित कार्य।
3. जॉच एवं परिवाद से सम्बन्धित समस्त कार्य।
4. अधिशासी अभियंता व उससे उच्चतर अभियन्ताओं का अधिष्ठान से संबंधित समस्त कार्य।
5. ग्रामीण सड़कों/मार्ग के मरम्मत, रख-रखाव व अनुरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य।
6. सेतु/पाण्टून के नवनिर्माण तथा रख-रखाव।
7. ऐसे समस्त कार्य जो प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) तथा प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) को आवंटित न हों।
8. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग व उच्च स्तर से सौपे गये कार्य।

(ख) प्रमुख अभियंता (परिकल्प एवं नियोजन)

1. अवर अभियन्ता स्तर के अधिकारियों के अधिष्ठान से संबंधित समस्त कार्य।
2. परिकल्प एवं नियोजन व अनुसंधान तथा अन्वेषणालय से सम्बन्धित समस्त कार्य।
3. वास्तुविद संवर्ग के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य।
4. भवन से सम्बन्धी कार्य।
5. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-2) से सम्बन्धित समस्त कार्य जैसे कोर्ट केसेज श्रेणी-03 एवं 04 के व्यवस्थापन/अधिष्ठान/रजिस्ट्रेशन/भूमि अध्याप्ति आदि समस्त कार्य।
6. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग व उच्च स्तर से सौंपे गये कार्य।

(ग) प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क)

1. समस्त आडिट प्रस्तरों से सम्बन्धित कार्य।
2. विश्व बैंक/ए0डी0बी0 सहायतित परियोजना से सम्बन्धित कार्य।
3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के समस्त कार्य।
4. राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बन्धित कार्य।
5. इण्डो-नेपाल बार्डर से सम्बन्धित कार्य।
6. सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारियों के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य।
7. विद्युत/यॉत्रिक शाखा से संबंधित समस्त कार्य तथा इस शाखा के अधिकारियों के अधिष्ठान से संबंधित समस्त कार्य।
8. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग व उच्च स्तर से सौंपे गये कार्य।

क्रमशः 2

http://shasanadesh.up.nic.in

2- प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क) एवं प्रमुख अभियंता (परिकल्प एवं नियोजन) द्वारा अपने कार्यो से सम्बन्धित नीतिगत प्रकरण प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से शासन में भेजेंगे।

3- प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के लिंक अधिकारी प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग के लिंक अधिकारी प्रमुख अभियंता (परिकल्प एवं नियोजन), लोक निर्माण विभाग एवं प्रमुख अभियंता (परिकल्प एवं नियोजन), लोक निर्माण विभाग के लिंक अधिकारी प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग होंगे।

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-31/2022/763(1)/23-3-2022-तद्‌दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
3- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/ प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ/प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
8- लोक निर्माण सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(नीरजा सक्सेना)
उप सचिव।